UPET010081822025

न्यायालय :: विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश एटा।

उपस्थितः अशोक कुमार XIII एच0जे0एस0ः

J0 CODE UP 2392

W S C C No–298/2025

अवधेश बनाम् दुष्यन्त कुमार आदि

10.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है और परिवादी की ओर से कोई स्थगन भी आज नहीं दिया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त परिवाद दाण्डिक प्रकीर्ण संख्या– 828 सन् 2025 अवधेश बनाम् दुष्यन्त कुमार आदि में पारित आदेश दिनांकित 06.12.2025 के अनुपालन में प्राप्त हुआ।

पत्रावली परिवाद की साक्ष्य अन्तर्गत धारा–223 बी0एस0एस0एस0 हेतु दिनांक 18.12.2025 को नियत की गयी। दिनांक 18.12.2025 को वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ओर इसी दिनांक दिनांक 01.01.2026 नियत करते हुए, अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। उसके बाद नियत दिनांक 01.01.2026, 06.01.2026 व 12.01.2026 को कोई उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद नियत दिनांक 20.01.2026 को परिवादी अवधेश उपस्थित हुआ, लेकिन धारा–223 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत साक्ष्य नहीं दिया गया, तथा इसी तारीख को अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 28.01.2026 को परिवादी पुनः अनुपस्थित हो गया। दिनांक 07.02.2026 को धारा–223 बी0 एन0 एस0 एस0 के अन्तर्गत बयान अंकित हुआ। उसके बाद दिनांक 19.02.2026 नियत की गयी, लेकिन इस तिथि को पुनः परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही धारा–225 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। आज नियत दिनांक को भी परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही परिवादी की ओर से धारा–225 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और ना ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को परिवाद में

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2026.03.10 16:25:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई रूचि नहीं रह गयी है। इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विपक्षीगण के विरूद्व प्रथम दृष्ट्या कोई अपराध बनता प्रतीत नहीं होता। अतः परिवाद धारा–226 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी अवधेश का परिवाद धारा–226 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार–XIII)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट
एटा।